



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 594 / 2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. रउतु तोपनो वो 2. महादेव तोपनो - विक्रेता
मारवाड़ी केरकेट्टा - क्रेता

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|-----|----|------|------|--|
| 24.08.19 | <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. रउतु तोपनो पिता स्व0 खुदवा तोपनो वो 2. महादेव तोपनो पिता स्व0 लेगोंरा तोपनो दोनों ग्राम-पेलौल, पोस्ट-बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने मारवाड़ी केरकेट्टा पिता सोमरा केरकेट्टा ग्राम-पेरका, पोस्ट-माहिल, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="236 770 1374 857"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बिचना</td> <td>262</td> <td>79</td> <td>2154</td> <td>0.11</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0439346400 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 502(ii)दिनांक 29.06.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम चोटेया मुण्डा वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार सहदेव मुण्डा के नाम भूमि का रकबा 48.75 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.31 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 12368.00(बारह हजार तीन सौ अड़सठ)रु0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 5.20 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. रउतु तोपनो पिता स्व0 खुदवा तोपनो वो 2. महादेव तोपनो पिता स्व0 लेगोंरा तोपनो को मारवाड़ी केरकेट्टा पिता सोमरा केरकेट्टा के साथ ग्राम बिचना के खाता सं0 79 खेसरा संख्या 2154 कुल रकबा 0.11 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 12368.00(बारह हजार तीन सौ अड़सठ)प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार/उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> | ग्राम | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा सं0 | रकबा (एकड़ में) | बिचना | 262 | 79 | 2154 | 0.11 | |
| ग्राम | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा सं0 | रकबा (एकड़ में) | | | | | | | | |
| बिचना | 262 | 79 | 2154 | 0.11 | | | | | | | | |